मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल

क्रमांक:एफ 2-1/2012/नियम/चार भोपाल,दिनांक 4 जून 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय- लेखा परीक्षा से लोक लेखा समिति तक विभिन्न चरणों के प्रतिवेदनों का समय सीमा तय करना ।

-•-

महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर द्वारा ध्यान में लाया गया है कि महालेखाकार के लेखा परीक्षा निरीक्षण तथा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की कंडिकाओं पर उत्तर विभागों द्वारा विलंब से भेजा जाता है जिस कारण लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की कंडिकाएं लंबित रहती हैं । राज्य की वित्तीय प्रक्रियाओं में निरन्तर सुधार तथा पारदर्शिता के लिए यह आवश्यक है कि आक्षेप की कंडिकाओं पर तत्पर कार्यवाही की जाए । यह सुनिचिश्त किए जाने हेतु निम्नांकित प्रक्रियाओं का पालन किया जाए :-

(i) लेखापरीक्षक दल द्वारा सूचना प्राप्त होने पर आडिट कराने से इंकार न किया जाए । लेखापरीक्षक दल द्वारा जारी ज्ञापनों का लेखा समाप्ति के एक दिन पूर्व उत्तर दिया जाए । लेखा परीक्षा दल द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन ड्राफ्ट पर चर्चा हेतु कार्यालयाध्यक्ष अनिवार्यतः उपस्थिति रहे ।

(ii) लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संबंधित विभाग अपने प्रशासनिक विभाग के माध्यम से 6 सप्ताह की समयावधि में महालेखाकार को उत्तर प्रेषित करें ।

(iii) गंभीर अनियमितताओं की प्रारूप कंडिकाओं पर विभागाध्यक्ष/शासन के प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव स्तर पर कंडिका के तथ्यों का सत्यापन कर शासन का उत्तर 6 सप्ताह में भेजा जाए ।

(iv) महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित विषय/स्कीम/कार्यक्रमों पर एवं विभागों के कार्य निष्पादन पर लेखापरीक्षा समीक्षा महालेखाकार द्वारा की जाती है । इस हेतु सर्वप्रथम प्रशासकीय विभाग के सचिव/प्रमुख सचिवके साथ एन्ट्री कांफ्रेंस आयोजित कर लेखा परीक्षा के उद्देश्य बताये जाते हैं । समीक्षा प्रतिवेदन का उत्तर विभागाध्यक्ष शासन के प्रशासकीय विभाग द्वारा 6 सप्ताह के भीतर महालेखाकार को भेजे जाये ताकि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य सरकार के वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन समय पर महामहिम राज्यपाल की ओर से विधानसभा के पटल पर रखवाने हेतु भेजी जा सके ।

(v) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर रखे जाने के पश्चात यह प्रतिवेदन लोक लेखा समिति के विचार के दायरे में आते हैं । विभाग से संबंधित कंडिकाओं का पृथक उत्तर विभाग के माध्यम से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति के 3 माह के अंदर लोक लेखा समिति को प्रेषित की जाये जिसकी प्रति महालेखाकार को भी दी जाए । लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं का क्रियान्वयन एवं कार्यवाही 6 माह की सीमा में विभाग द्वारा की जाए ।

अतः अनुरोध है कि उक्तानुसार समय सीमा के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु अपने अधीनस्थों को समुचित निर्देश जारी करने का कष्ट करें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 2-1/2012/नियम/चार भोपाल, दिनांक 4 जून 2012

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्राालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(डी.के.सक्सैना)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

I/Sunita
http/WWW.mp.gov.in/finance